अतिमहत्वपूर्ण/अविलम्ब

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।

पत्रांक /स0क0/छात्रवृत्ति/2025-26 दिनांक 20 जून 2025

कुल सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय व अनुदानित एवं निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थान/विद्यालय/कालेज/हाईस्कूल व इण्टरमीडियेट कालेज आदि
जनपद मेरठ।

विषय- छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सी-1426/स.क./शिक्षा-अ/9/2025-26 लखनऊ दिनांक 18 जून 2025 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ.प्र. के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु शासन द्वारा आवदेन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए समय सारिणी पत्र संख्या 115/2025/1370/26-3-2025-1741051 दिनांक 10.06.2005 जारी की गयी है। जो जिला समाज कल्याण अधिकारी, मेरठ के कार्यालय पत्रांक सी-745 दिनांक 17 जून 2025 के द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों के प्रेषित की जा चुकी है।

निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0लखनऊ से निर्देश दिये गये है कि छात्रवृत्ति नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार "छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा"।

उक्त क्रम में जनपद मेरठ में संचालित समस्त शिक्षण संस्थानों के कुल सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/ प्राचार्य/ प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि समस्त छात्र/छात्राओं को प्रवेश के दौरान एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अवगत करायें कि ***"छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत इस वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण केवल छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यदि छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन में अपने नाम से निर्गत स्वयं का आय प्रमाण पत्र का लगाया जाता है तो उन छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी"।***

अतः उपरोक्त कार्यवाही के क्रियान्वयन हेतु जनपद मेरठ में संचालित सभी केन्द्रीय/राज्य व निजी विश्वविद्यालय, राजकीय व अनुदानित एवं निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों के कुल सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/ प्राचार्य/ प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि शासन के उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा उक्त का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्थान व उनके निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों का पूर्ण उत्तरादायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(नूपुर गोयल)
मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ।

पृष्ठांकन सं0 C-781 तद दिनांक 20/06/2025

प्रतिलिपि-निम्नलिखित की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ। 2-जिलाधिकारी, मेरठ।

3-क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ को उपरोक्त क्रम मे जनपद मेरठ के समस्त शिक्षण संस्थानों के निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु।

4-समस्त विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी, जनपद मेरठ के जनपद मेरठ के समस्त शिक्षण संस्थानों के निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारियों को निर्देशित करने हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी,
मेरठ।

ScHoLaRsHiP 2025-26